संख्या-931/2017/3157/22-2-2017-17(216)/2006

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सैंगर,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊः दिनांक 19 दिसम्बर 2017***

विषयः- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अजीत सिंह ऊर्फ गुडडन भदौरिया पुत्र श्री बेताल सिंह, जनपद-कानपुर नगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-43076/प्रोबेशन-3 (एम-04-12-2017) दिनांक-04-12-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अजीत सिंह ऊर्फ गुडडन भदौरिया पुत्र श्री बेताल सिंह जो म0नं0-111ए/392 अशोकनगर, थाना-नजीराबाद, जनपद-कानपुर नगर का रहने वाला है। चक्रेश अवस्थी ने बन्दी के मकान के पास ही एक मकान अमूल हितकारी से खरीदा था जिस पर बन्दी व अन्य साथी कब्जा करना चाहते थे। इसी बात को लेकर दोनों गुटों में आपस में रंजिश थी। परिणाम स्वरूप बन्दी ने दिनांक 30.10.2001 को समय लगभग 07:00 बजे 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रायफल, रिवाल्वर, तमन्चा से गोली मारकर चक्रेश व आशू नामक व्यक्तियों की हत्या कर दी। सत्र परीक्षण संख्या-527/2002 में भा0द0वि0 की धारा- 302/34 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 06.01.2004 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में क्रि0 अपील सं0-278/2004 योजित की गयी। उक्त अपील में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01.11.2004 द्वारा मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.04.2017 तक 14 वर्ष 01 माह 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 05 माह 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी व उसके साथी चक्रेश अवस्थी के मकान पर कब्जा करना चाहते थे। इसी रंजिश में दिनांक 30.10.2001 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रायफल, रिवाल्वर, तमंचा से गोली मारकर चक्रेश वा आशू नामक व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के अपराध करने में अशक्त न होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता,

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अजीत सिंह ऊर्फ गुडडन भदौरिया पुत्र श्री बेताल सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- इसी प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित रिट याचिका क्रिमि0 (एम0बी0) सं0-17517/2017 अजीत सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.08.2017 तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी अजीत सिंह ऊर्फ गुडडन भदौरिया (बन्दी संख्या-14957) पुत्र श्री बेताल सिंह निवासी जनपद-कानपुर नगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर

संयुक्त सचिव।

संख्या-931/2017/3157(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक आदर्श कारागार, लखनऊ।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर

संयुक्त सचिव।

शासनादेश सख्ंया-931/2017/3157/22-2-2017-17(216)/2006

दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अजीत सिंह ऊर्फ गुडडन भदौरिया पुत्र श्री बेताल सिंह जो म0नं0-111ए/392 अशोकनगर, थाना-नजीराबाद, जनपद-कानपुर नगर का रहने वाला है। चक्रेश अवस्थी ने बन्दी के मकान के पास ही एक मकान अमूल हितकारी से खरीदा था जिस पर बन्दी व अन्य साथी कब्जा करना चाहते थे। इसी बात को लेकर दोनों गुटों में आपस में रंजिश थी। परिणाम स्वरूप बन्दी ने दिनांक 30.10.2001 को समय लगभग 07:00 बजे 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रायफल, रिवाल्वर, तमन्चा से गोली मारकर चक्रेश व आशू नामक व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-527/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 06.01.2004 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में योजित क्रि0 अपील सं0-278/2004 योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01.11.2004 द्वारा मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.04.2017 तक 14 वर्ष 01 माह 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 05 माह 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। । जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी व उसके साथी चक्रेश अवस्थी के मकान पर कब्जा करना चाहते थे। इसी रंजिश में दिनांक 30.10.2001 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रायफल, रिवाल्वर, तमंचा से गोली मारकर चक्रेश वा आशू नामक व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के अपराध करने में अशक्त न होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अजीत सिंह ऊर्फ गुडडन भदौरिया पुत्र श्री बेताल सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।